राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–21, 22, 23, 24 व 25/2015 जिला–कोटा

उनवान : मैसर्स सेवाराम किशनदास,कोटा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंग, राजस्थान-वृत–प्रथम, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी,वाणिज्यिक कर,अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
09.03.2015	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री जे.एन.शर्मा,अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। ये पांच विविध प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2009/2014, 2010/2014, 2011/2014, 2012/2014 एवं 2013/2014/कोटा में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 01.12.2014 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त आदेशों से प्रकरणों में बकाया वसूली योग्य राशियों पर स्थगन इस शर्त पर प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के उनके सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत करेंगे और अपीलीय प्राधिकारी आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि माननीय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 01.12.2014 की अनुपालना में आवश्यक एवं समुचित जमानत(necessary security bond) कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है,किन्तु आज दिनांक तक उक्त अपीलें निस्तारण हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। अतः उन्होंने उक्त प्रकरणों में दिये गये स्थगन आदेशों को, अपीलीय अधिकारी के द्वारा उक्त अपीलों के अन्तिम निर्णय पारित करने तक, अवधि बढाने का निवेदन किया। विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त विविध प्रार्थना पत्रों के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रकरणों में समयावधि बढ़ाने के संबंध में किये गये निवेदन पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ अनुभव करती है कि अपील संख्या 2009/2014, 2010/2014, 2011/2014, 2012/2014 एवं 2013/2014/कोटा में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 01.12.2014 में दिये गये स्थगन की अवधि 31.05.2015 तक बढायी जाती है तथा अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 31.05.2015 तक उक्त अपीलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक–एक प्रति अपील पत्रावली संख्या 2009/2014, 2010/2014, 2011/2014, 2012/2014 एवं 2013/2014/कोटा में संलग्न की जावे। निर्णय सुनाया गया । (सुनील शर्मा) सदस्य (राकेश श्रीवास्तव) अध्यक्ष	